साठ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

SIXTY RUPEES

६० रु.   60 RS.

१, लेख्यकारी – श्री जयकृष्ण राय कोटवार पिता स्व. श्री डमर राय कोटवार जाति भुईंया पेशा: खेती-बारी निवास गांव मौजा केमलपुर प्र. बीरू थाना सिमडेगा जिला रांची-बिक्रेता

२, लेख्यधारीगण – श्री जुएल खड़िया पिता स्व. श्री मोर्टा खड़िया निवास गांव देवबहार (गिंडरा) वो मिखाएल खड़िया पिता जीवित श्री बेनाई खड़िया निवास गांव कोनपाला पोड़लटोली जाति खड़िया पेशा-खेती-बारी वो नौकरी प्र० बीरू थाना ठेठई-टांगर जिला-रांची – क्रेतागण

भारतीय।

३, लेख्य प्रकार :- केवाला, विक्रय-पत्र, (बैनामा) जो सदा दिन के लिए होता है।

४, मुल्य :- मो० साढ़े पांच हजार रुपैया अंके मो०
५,५००।- रुपैया जिसका आधा मो० दो हजार
सात सौ पचास रुपैया अंके मो० २७५०।-
रुपैया होता है।

५, सम्पत्ति का विवरण :- बाके मौजा खिजरी पुरनापानी
अन्दर खाता नं० १६४ रकबा ०.११ डि०
हाकियत काश्त - गममौ रैयती जमीन
है जिसका पुरा विवरण नीचे दिया गया है

१, चुंकि मुझे वास्ते महाजन के ऋण
चुकाने एवं हल या बैल खरीदने के लिए
रुपये की सख्त आवश्यकता आ पड़ी और
सिवाय जमीन बेचने के अन्य कोई उपाय
नहीं है इस लिए मैं ने ऊपर लिखित
लेख्यधारीगणों से जमीन ले लेने की
प्रार्थना की, और उन्होंने लेना स्वीकार
किया अतः मैं बिहार अनुसूचित क्षेत्र
अधिनियम १९६९ केस संख्या 24/62,
63 के अनुसार पर डि० ४० रुपैया
जमा ८४०।- रुपैया उचित मुआवजा
देकर दखलकार हूँ।

२, इस लिए मैं अपनी इच्छा, मन
और शरीर की स्वस्थता में रहकर

१५.४.२२

१५.४.२२

60 Rs.

ऊपर खाना संख्या 5 में वर्णित जमीन
मो० पांच हजार पांच सौ रुपैया अंके
मो० 5500/- रुपैया पाकर बेच दिया
और जमीन का सब अधिकार उन्हें
हस्तांतरित कर दिया, अब से उस
जमीन पर न मेरा और न मेरे किसी
उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का
अधिकार नहीं रहा।

3, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस
जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं
दखलकारी कब्जा है। उसमें किसी
प्रकार का भार एवं झगड़ा झंझट
नहीं है।

4, इसलिए यह विक्रय-पत्र लिख
दिया कि प्रमाण रहे।

5, अब चाहिए कि लेख्यधारी
उसमें मकान बनावे, कुआं कोड़े जैसा
पसंद हो अपने मतलब से भोग
तसरूफ किया करे अब चाहिए
कि लेख्यधारीगण बिहार सरकार
बजरिये सर्कल ऑफिसर सिमडेगा
से अपने नाम से दाखिल खारिज

60 Rs.

करा लें और निर्धारित माल देकर
साल ब साल अपने नाम से रसीद लिया करें
जमीन का पुरा विवरण :— वाके
मौजा खिजरी पुरनापानी थाना सिमडेगा
थाना नं० १०५ प० बीर जिला रांची।
सब रजिस्ट्री ऑफिस सिमडेगा, सदर
रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला रांची।
खेवट नं० २ खाता नं० १६४ प्लाट
नं० २३६ रकबा ०.२१ डी० में से ०.११
डी० एक किता मकान सहित मालगुजारी
— ५० पैसा शेष अलावे।
— मोकिर के कहने पर यह
पढ़ा लिख पढ़कर सुना एवं समझा
दिया उसने कबूल मंजूर किया।
लिपिकार - कल्याण कुमार बड़ा
टाईप एडभोकेट निवास गांव
गोतरा नवाटोली हाल मो०
सिमडेगा कचहरी दिनांक
१५-४-८२ ईस्वी।

[illegible] १५.४.८२

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

हम लोग श्री जुएल खड़िया वल्द स्व. श्री मोटा खड़िया निवास गांव देवबहार गिंडरा वो श्री मिखाएल खड़िया पिता जीवित श्री बेनार्ड खड़िया निवास गांव कोनपाला पाड़लटोली जाति खड़िया पेशा खेती-बारी वो नौकरी थाना ठेठईटांगर प्र० बीरू जिला रांची — क्रेतागण।

समपत ब्यान करते हैं कि जो जमीन हम लोग खरीद रहे हैं वह बिहार भूमि सुधार अधिनियम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम १९७२ एवं बिहार शहरी सम्पति (सीमा) अधिनियम १९७२ में जो बिहार एक्सट्रा ऑर्डिनरी दिनांक २९-९-७२ ईस्वी से प्रकाशित किया गया है के अनुसार सीमा निर्धारण से ज्यादा नहीं होगा।

जूएल खड़िया

मिखाएल सोरेंग

श्री जुएल खड़िया वो श्री मिखाएल खड़िया को मैं श्री लक्ष्मी नाथ मांझी वल्द स्व. श्री जदुवर मांझी सा० सेवई थाना सिमडेगा जिला रांची ने पहचान की उसने मेरे सामने हलफन तसदीक किया कि ऊपर के ब्यान उसके जानकारी एवं विश्वास से सच है

निबंधन पदाधिकारी

सिमडेगा।

द० लक्ष्मी नाथ मांझी

१६-४-२२

5 RS

INDIA

पाँच रुपये | पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मैं श्री जयकृष्ण राय कोटवार वल्द स्व. श्री
डमर राय कोटवार जाति मुईयां पेशा-खेती:
बारी निवास गांव केशवपुर थाना सिमडेगा
प्र० बीरू जिला रांची — विक्रेता
सत्यापन ब्यान करता हूँ कि जो जमीन मैं बिक्री
कर रहा हूँ वह बिहार भूमि सुधार (अधिनियम
सीमा निर्धारण एवं अधिशेष अर्जन) संशोधन।
अधिनियम १९७२ एवं बिहार शहरी सम्पति (सीमा)
अधिनियम १९७२ में जो बिहार गजट एकस्ट्रा
ऑर्डिनरी दिनांक २९-९-७२ ई० में प्रकाशित
किया गया है के अनुसार सीमा निर्धारण
से ज्यादा नहीं है।

सही जयकृष्ण राय कोटवार
१६-४-८२

श्री जयकृष्ण राय कोटवार को मैं श्री लक्ष्मी
नाथ मांझी वल्द स्व. श्री अदुवर मांझी सा० सेवई
थाना सिमडेगा जिला रांची ने पहचान की उसने
मेरे सामने हलफन तसदीक किया कि ऊपर
के ब्यान उसके जानकारी एवं विश्वास से
सच है।

[signature]
निबंधन पदाधिकारी
सिमडेगा।

सही लक्ष्मीनाथ मांझी
१६-४-८२